

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शुद्धि-पत्र

संचिका सं०-17/विविध 1-51/2018 - 678 (17) /स्वा०, पटना, दिनांक- 27/9/18
राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु कुल 12 (बारह) संविदारत्/टेन्थोर पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों/ट्यूटर को विभागीय अधिसूचना सं०-669(17) दिनांक-24.09.2018 द्वारा स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया गया था।

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक-12 में पदनाम के कॉलम में अंकित एपीडेमोलॉजीस्ट-सह-सहायक प्राध्यापक की जगह शुद्ध रूप से चिकित्सा पदाधिकारी-सह-एपीडेमोलॉजिस्ट पढ़ा जाए।
3. उक्त अधिसूचना के क्रमांक-5 में नाम के कॉलम में अंकित 'चन्द्र शेखर चौधरी' की जगह शुद्ध रूप से 'चन्द्रेश्वर चौधरी' पढ़ा जाए।
4. अधिसूचना सं०-669(17) दिनांक-24.09.2018 के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 17/विविध 1-51/2018- 678 (17) /स्वा० पटना, दिनांक :- 27/9/18

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- परीक्षा नियंत्रक, बी०सी०ई०सी०ई० बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक एवं सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी स्थानांतरित/अधिसूचित चिकित्सक शिक्षकों (संविदारत्/टेन्थोर) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अवर सचिव (श्री विवेकानन्द ठाकुर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,17 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।